कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या– /दस–लाइसेंस–57/बोतल भराई नियमावली/2018–19

दिनांक , 2018

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–4 सन् 1910) की धारा–41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 1969 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की (उन्नीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।
(2) यह दिनांक 01–04–2018 से प्रवृत्त होगी।

नियम–2(1)

(क) कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से प्रपत्र वि0म0–3 में–,
(एक) आसवक (डिस्टिलर) को स्प्रिट की बोतल भराई,
(दो) यवासवक (ब्रुअर) को बियर की बोतल भराई, और
(तीन) द्राक्षासवक (विंन्टनर) को वाइन, की बोतल भराई के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है।

(ख) प्रपत्र वि0म0–3 में लाइसेंसधारक, बोतल में भरने के अपने विशेषाधिकार को पूर्णतः या उसके किसी अंश को–
(एक) उत्तर प्रदेश राज्य के दूसरे आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक
(दो) भारत में दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक
(तीन) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के किसी आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक को भारत में उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन समनुषंगी इकाई को समनुदेशित कर सकता है।

परन्तु यह कि ऐसा कोई समनुदेशिती इस रूप में किसी अधिकार का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जबतक कि वि0म0–3क लाइसेंस के धारक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसे प्रपत्र वि0म0–3–क में लाइसेस स्वीकृत न कर दिया गया हो।

(ग) किसी आसवक, यवासवक तथा द्राक्षासवक को बोतल में भरने हेतु प्रपत्र वि0म0–3–क में बाटलिंग लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जा सकता है–
(एक) कोई आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक उसके द्वारा बोतल में भरी गई स्प्रिट के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अपना ब्राण्ड नाम लिखने का हकदार होगा।
(दो) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार, के सिवाय रंगना, समिश्रण करण (ब्लेडिंग), सुवासित करना या तीव्रतावरोह करना निषिद्ध होगा।

(2) न्यूनतम रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख) के अधीन रहते हुये, किसी आसवक या द्राक्षासवक की स्थित में स्प्रिट या वाइन या कम तीव्रता के मादक पेयों पर बाटलिंग फीस निम्नलिखित दर पर या समय–समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित दरों पर उद्गृहीत किया जायेगा।

(क) स्प्रिट या वाइन

बाटलिंग शुल्क रूपये में

	धारिता	एफ0एल0–3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0–3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	2000 मि0ली0	**3.14**	**4.11**
(दो)	1000 मि0ली0	**1.57**	**2.05**
(तीन)	700 व 750 मि0ली0	**1.21**	**1.63**
(चार)	500 मि0ली0	**0.85**	**1.21**
(पांच)	375 मि0ली0	**0.72**	**0.97**
(छः)	180 मि0ली0	**0.48**	**0.60**
(सात)	100 मि0ली0	**0.30**	**0.36**
(आठ)	90 मि0ली0	**0.30**	**0.36**
(नौ)	60 मि0ली0	**0.18**	**0.24**

(ख) कम तीव्रता के मादक पेय–

बाटलिंग शुल्क रूपये में

	धारिता	एफ0एल0–3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0–3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	1000 मि0ली0	**0.18**	**0.30**
(दो)	650 मि0ली0	**0.10**	**0.18**
(तीन)	500 मि0ली0	**0.08**	**0.12**
(चार)	325 व 330 मि0ली0	**0.06**	**0.08**
(पांच)	275 मि0ली0	**0.05**	**0.06**
(छः)	275 मि0ली0 से कम	**0.04**	**0.05**

(3) न्यूनतम रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख) के अधीन रहते हुय किसी यवासवक की स्थिति में बाटलिंग फीस निम्नलिखित दर पर या समय–समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित दर पर उद्गृहीत किया जायेगाः–

बियर			
बाटलिंग शुल्क रूपये में			
	धारिता	एफ0एल0–3 के लिये (प्रति बोतल)	एफ0एल0–3ए के लिये (प्रति बोतल)
(एक)	ड्राट बीयर प्रति ड्रम (50 लीटर धारिता)	**30.19**	**36.23**
(दो)	650 मि0ली0 बोतल	**0.66**	**0.78**
(तीन)	500 मि0ली0 बोतल	**0.54**	**0.60**
(चार)	350 मि0ली0 या उससे कम मात्रा की बोतल	**0.36**	**0.48**

(4) देश के बाहर निर्यात किये जाने हेतु तात्पर्यित विभिन्न विदेशी मदिरा जिसके अन्तर्गत वाइन, **बियर एवं एल0ए0बी0** भी है, पर बोतल में भरने का देय शुल्क पहले ही वसूल कर लिया जायेगा। तत्पश्चात् यह सबूत पेश करने पर कि उतनी मात्रा में उपर्युक्त विदेशी मदिरा वास्तव में देश के बाहर निर्यात कर दी गयी है, लाइसेंसधारी को शुल्क की वह धनराशि, जो इससे पहले ली जा चुकी हो, लौटा दी जायेगी।

नियम–3(1) नियम–2 के अधीन बोतल में भरने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र देने वाला व्यक्ति अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करेगा, **जिसे निर्धारित पोर्टल पर भी अपलोड करेगाः–**

(क) स्थान जहॉं पर और भू–गृहादि जिसमें बोतलों में भराई की जायेगी, **को अक्षांश एवं देशान्तर दर्शाते हुए जिओटैगिंग करेगा।**

(ख) सप्ताह या मास में लगभग कितने दिन बोतलों में भराई की जायेगी;

वह भू–गृहादि का एक विस्तृत नक्शा भी देगा जिसमें विभिन्न कक्ष या उप कक्ष तथा सभी स्थायी फिक्सचर्स दिखाये गये हों। यदि कर देय विहीन (नान बांण्डेड) भू–गृहादि में बोतलों में भराई की जानी हो तो यह नक्शा दो प्रतियों में दिया जायेगा और यदि कर देय भू–गृहादि में बोतलों में भराई की जानी हो तो यह नक्शा तीन प्रतियों में दिया जायेगा।

(2) यदि जॉच के पश्चात आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का यह समाधान हो जाये कि आवेदक अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करने योग्य है तथा जिस भू–गृहादि में वह बोतलों में भराई कार्य करना चाहता है वह उपयुक्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस दे सकते हैं। प्रत्येक ऐसा लाइसेंस धारी 1,00,000 (एक लाख) रूपये की सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त के पद नाम से प्रतिश्रुत हो, प्रतिभूति के रूप में लाइसेंस लेने के पूर्व जमा करेगा। लाइसेंसधारी को उन पर मिलने वाला ब्याज, जब वह देय हो जाय, लेने की अनुज्ञा दी जायेगी।

नियम–4 बोतल भरने के लाइसेंस का नवीनीकरण करने के लिए आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को या उसके पूर्व प्रपत्र वि0म0 ख–1 में दिया जायेगा। जब तक शुल्क या उसका कोई भाग बकाया न हो, या कोई अन्य पर्याप्त कारण न हो, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र वि0म0–3, वि0म0–3क में बोतल भरने के लाइसेंस का वर्षानुवर्ष नवीनीकरण किया जा सकता है। एफ0एल0–3 व एफ0एल0–3ए अनुज्ञापनों के लिये नवीनीकरण फीस निम्नानुसार देय होगी–

कमांक	**अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस (रूपये में)**	**एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापनों की निर्धारित नवीनीकरण फीस (रूपये में)**
1	10000000 तक	2 लाख
2	10000000 से अधिक 20000000 तक	4 लाख
3	20000000 से अधिक 30000000 तक	6 लाख
4	30000000 से अधिक 40000000 तक	8 लाख
5	40000000 से अधिक	10 लाख

प्रतिबन्ध यह है कि अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस की गणना माह जनवरी के अन्त तक प्राप्त बाटलिंग फीस के आधार पर की जायेगी।

नवीकरण की यह धनराशि बाटलिंग फीस के सापेक्ष समायोजित नही की जायेगी। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त वास्तविक बाटलिंग फीस के कारण नवीकरण फीस की श्रेणी बढ़ती है तो बढ़ी हुई श्रेणी के अनुरूप नवीकरण फीस सम्बन्धित वर्ष के लिए संदेय होगी, तथा अन्तर की धनराशि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की अन्तिम तिथि से पूर्व राजकोष में जमा करनी होगी।

उक्त के अतिरिक्त, बाटलिंग फीस की अग्रिम वसूली, पृथक से सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

नियम–5(1) आवेदक, प्रपत्र वि0म0–3 या वि0म0–3क या दोनों में नया लाइसेंस दिये जाने के लिए अपने प्रार्थना पत्र के साथ वर्ष या वर्ष के भाग के लिए 2,00,000 (दो लाख) रूपये जमा कर दिये जाने को दर्शाते हुए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति संलग्न करेगा।

उक्त के अतिरिक्त, बाटलिंग फीस की अग्रिम वसूली सुसंगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार पृथक से की जायेगी।

(2) वि0म0–3 या वि0म0–3क का अनुज्ञापनधारी स्प्रिट, वाइन एवं बियर की बोतल भराई फीस का लेखा अद्यतन रखेगा। वास्तविक रूप से भरी गई बोतलों के फीस में समायोजन हेतु उसे बोतल भराई शुल्क अग्रिम रूप से 10,000 की किश्तों में जमा करना होगा। न्यूनतम फीस जैसा कि नियम–2 में वर्णित है, को घटाने के बाद यदि बोतल भराई शुल्क मद में कोई धनराशि वर्ष के अन्त में अवशेष रहती है तो उसे आगामी वर्ष में प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है, जो लाइसेंस के निरस्तीकरण या नवीनीकरण न किये जाने पर वापस की जा सकती है। **बाटलिंग फीस के मद में अग्रिम जमा आनलाइन किया जायेगा।**

नियम–6. प्रपत्र विदेशी मदिरा–3 में प्रदान किया गया प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अद्यधीन होगा।

(1) अनुज्ञापी बोतल में भराई कार्य उसी भू–गृहादि में करेगा जो आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी के बाहर बोतल भरने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा और आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी के अन्दर बोतल भरने की दशा में आबकारी आयुक्त

द्वारा पूर्वानुमोदित हों और अनुज्ञापन पर पृष्ठांकित हों और भू–गृहादि का प्रयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए, सिवाय विदेशी मदिरा बोतल में भरने और उसे संग्रह करने के नहीं दिया जायेगा।

(2) अनुज्ञापी उक्त भू–गृहादि में जिलाधिकारी या आबकारी आयुक्त, जैसी भी दशा हों कि पूर्वलिखित स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेगा और इस प्रकार के सभी परिवर्तन अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में दिखाये जायेंगे।

(3) बोतल में भराई कार्य इस प्रयोजनार्थ अलग किये गये, पृथक कक्ष (कक्षों) में किया जायेगा। अनुज्ञापी मदिरा के संग्रह के लिये भराई कक्ष (कक्षों) में बोतल भराई की टंकियां स्थापित करेगा। वह भराई कक्ष (कक्षों) में छानने, भराई करने या इससे सम्बन्धित प्रकिया के लिये आवश्यक उपकरण स्थापित करेगा।

बोतलों में भरी गयी मदिरा अलग कक्ष (कक्षों) में रखी जायेगी।

प्रत्येक कक्ष के बाहर एक तख्ती लगायी जायेगी जिस पर कक्ष का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, यह बात स्पष्ट रूप से लिखी जायेगी।

(4) प्रतिरक्षा कर्मियों और नागरिकों को आपूर्ति किये जाने के लिये आयातित भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के एक ही कक्ष में बोतल में भरा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आपूर्ति करने के लिये देशी मदिरा को बोतल में भरने के लिये आबकारी आयुक्त की पूर्वानमुति से बोतल में भरने के ऐसे कक्ष का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है:–

परन्तु यह कि देशी मदिरा की बोतलों में भराई के समय किसी भी दशा में विदेशी मदिरा की बोतलों में भराई नहीं की जायेगी और प्रतिरक्षा कार्मियों और नागरिकों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों में भराई एक साथ नहीं की जायेगी।

(5) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए रियायती उपशुल्क की दर पर दी जाने वाली भारत निर्मित विदेशी रम को केवल कर देय आसवनी में ही बोतलों में ही भराई करने की स्वीकृति दी जायेगी।

(6) जब अनुज्ञापी बोतलों में भराई करना चाहें तब वह **सहायक आबकारी आयुक्त** को अड़तालिस घन्टे पूर्व उसकी सूचना देगा जिसमें स्पष्ट रूप से बोतल में भराई करने के लिए प्रस्तावित दिन तथा समय का उल्लेख होगा तथा प्रतिबन्ध यह है कि बोतलों में भराई रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन भी की जा सकती है और अड़तालिस घन्टे का नोटिस देना आवश्यक न होगा, यदि बोतलों की भराई किसी आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी में की जाय। **सामान्यतः प्रत्येक कार्मिक की ड्युटी आठ घन्टे से अधिक नही होगी तथा तीन शिफ्ट में प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक, 02.00 बजे अपरान्ह से रात्रि 10.00 बजे तक तथा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक होगी।**

(7) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष अनुज्ञा के और उसके अनुसार सम्मिश्रण (ब्लेण्डिंग) या तीव्रतारोह (रिड्यूसिंग) का निषेध है।

टिप्पणीः– पद ''ब्लेण्डिंग'' तथा (रिड्यूसिंग) का वही अर्थ होगा जो आबकारी मैनुअल खण्ड–1 (1962 संस्करण) के पैरा 45 में दिया हुआ है।

(8) सिवाय आबकारी आयुक्त की विशेष स्वीकृति के और उसके अनुसार विदेशी मदिरा में कोई सुवास पैदा करने वाला या रंगने वाला कोई पदार्थ अथवा कोई भी अन्य पदार्थ मिलाने का निषेध है।

(9) यदि बोतल में भरी गयी स्प्रिट उत्तर प्रदेश में विक्रय के लिये हो तो अनुज्ञापी ब्रांडी, व्हिस्की या रम की दशा में 42 प्रतिशत अल्कोहल आयतन/आयतन से कम तीव्रताकी तथा ''जिन'' की दशा में 36 प्रतिशत अल्कोहल/आयतन/आयतन से कम तीव्रता की विदेशी मदिरा को बोतल में नहीं भरेगा। उत्तर प्रदेश के बाहर विक्रय के लिए बोतल में भरी गई स्प्रिट ऐसी तीव्रता पर जारी की जायेगी जैसा कि उस राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या सम्बन्धित देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।

(10) (क) लाइसेंसधारी सिवाय नमूने के अतिरिक्त स्प्रिट व वाइन के लिए 60 मि0ली0 से कम धारिता की बोतल का प्रयोग नहीं करेगा तथा बियर के लिए 300 मि0ली0 से कम धारिता की बोतल का प्रयोग नहीं करेगा।

(ख) उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित धारिता की बोतलों एवं फ्लास्कों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(11) लाइसेंसधारी स्प्रिट, वाइन और बियर को बोतलों/ फ्लास्कों/डिब्बों या ऐसी क्षमता वाले किसी अन्य पात्रों में, जैसा कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया जाय, भरेगा।

(12) बोतलों/फ्लास्कों/डिब्बों या अन्य पात्रों पर यथास्थिति अंक और अक्षर स्प्रिट/वाइन/बियर और कम तीव्रता के मादक पेय की मात्रा को मि0ली0 में डाला या बालुकाच्छेपित (सैण्डब्लास्ट) किया जायेगा।

(13) **ग्लास/पेट बोतलों के चेस्ट पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सारिणी के अनुसार वर्ष के अन्तिम दो डिजिट सहित शब्द ''उत्तर प्रदेश आबकारी'' उभरे हुए रूप में अंकित किये जायेंगे।**

(14) अनुज्ञापी विदेशी मदिरा की भराई के लिए किसी ऐसी बोतल या फ्लास्क का प्रयोग नही करेगा जिस पर किसी अन्य भराई करने वाले या किसी अन्य आसवक या यवासवक या द्राक्षासवक का नाम या चिन्ह (मार्क) अंकित हो। तथापि आबकारी आयुक्त अनुज्ञापी को 06 माह से अनधिक अवधि के लिए सम्बन्धित भराई करने वाले आसवक, यवासवक या द्राक्षासवक की सहमति से ऐसी बोतलों तथा फ्लास्क के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं।

(15) रियायती शुल्क की रम की भराई के लिए प्रयुक्त बोतलों पर शब्द ''केवल सेना के लिए'' और यदि इस रम का उत्तर प्रदेश से बाहर निर्यात किया जाना हो तो अक्षर ''सी0एस0डी0'' तथा यदि रम सेवा–क्रय संगठन को दिया जाना हो तो शब्द ''ए0पी0ओ0'' बालुकाच्छेपित (सैण्डब्लास्ट) या उभारे (एम्बास्ड) किये जायेंगे।

(16) (क) अन्य राज्य या संघ क्षेत्र या अन्य देश को निर्यात की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की भराई ऐसे बोतलों में की जायेगी जिस पर सम्बन्धित राज्य संघ राज्य क्षेत्र या देश विनियमों द्वारा अपेक्षित चिन्ह या संकेत हों।

(ख) निर्यात के लिए बोतलों में भरी जाने के निमित्त मदिरा ऐसे आकार की बोतलों में जारी की जा सकती है, जो सम्बन्धित राज्य संघ, राज्य क्षेत्र या देश के विनियमों द्वारा अपेक्षित हो।

(17) विदेशी मदिरा की भराई के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली बोतलें पहले पोटेशियम परमैगनेट के घोल से फिर शुद्ध जल से ठीक तरह धोकर साफ की जायेगी।

(18) बोतल भर जाने के बाद तुरन्त उनमे कार्क, कैप्सूल तथा लेबिल लगाया जायेगा तथा वह मदिरा भरी हुई बोतलों के संग्रह कक्ष में ले जायी जायेगी। बोतलों में भराई की प्रत्येक प्रक्रिया ''आपरेशन'' की एक विशिष्ट क्रम संख्या दी जायेगी, जिसे बैच नम्बर कहा जायेगा । यह बैच नम्बर लेबिल पर लिखा जायेगा, **जिसका डिजिटल रिकार्ड भी अनुरक्षित करते हुए आबकारी विभाग के आनलाइन अभिहित पोर्टल पर सब्मिट किया जायेगा।**

(19) (1) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की दशा में बोतलों पर चिपकाये गये लेबिलों पर निम्नलिखित बाते स्पष्ट रूप से मुद्रित होंगी–

(क) बोतल में भरी हुई मदिरा का विवरण अर्थात् व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन आदि।
(ख) बोतल की प्रत्याभूत (गारन्टीड) द्रव मात्रा,
(ग) व्हिस्की, ब्राण्डी, रम या जिन की दशा में, बोतल में भरी इुई मदिरा की शक्ति,
(घ) शब्द ''भारत में निर्मित''
(ड़) अनुज्ञापी का नाम तथा पता
(च) लेबुल पर नीचे उल्लिखित आकार में विरोधाभाषी रंग में ''फार सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली'' विकर्णवत मुद्रणः–

(क) 750 एम0एल0 व उससे ऊपर के आकार की बोतलों में	8 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ख) 375 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 750 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	4 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ग) 180 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 375 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	2 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(घ) 180 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	1 एम0एम0 आकार के अक्षरों में

(2) आयात की गयी मदिरा की दशा में बोतलों पर चिपकाए गये लेबिल पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से मुद्रित होगा–

(क) बोतल में, भरी हुई मदिरा का विवरण अर्थात व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन आदि
(ख) बोतल की प्रत्याभूत मात्रा (गारन्टीड) द्रव मात्रा
(ग) व्हिस्की, ब्राण्डी, रम या जिन की दशा में, बोतल में भरी हुई मदिरा की शक्ति,
(घ) शब्द ''निर्मित'' तथा मूल उत्पादक देश का नाम
(ड़) शब्द ''बाटल्ड इन इण्डिया''
(च) अनुज्ञापी का नाम तथा पता
(छः) लेबुल पर नीचे उल्लिखित आकार में विरोधाभाषी रंग में ''फार सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली'' विकर्णवत मुद्रणः–

(क) 750 एम0एल0 व उससे ऊपर के आकार की बोतलों में	8 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ख) 375 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 750 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	4 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(ग) 180 एम0एल0 व उससे अधिक किन्तु 375 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	2 एम0एम0 आकार के अक्षरों में
(घ) 180 एम0एल0 से कम के आकार की बोतलों में	1 एम0एम0 आकार के अक्षरों में

(3) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के प्रयोग के लिए विदेशी मदिरा की बोतलों पर चिपकाए गये लेबिलों पर भी निम्नलिखित संकेत–वाक्य (लीजेंड) मुद्रित किया जायेगा। लेबिल के शीर्ष पर, लाल स्याही में निम्नलिखित संकेत वाक्य–
''केवल प्रतिरक्षा कर्मचारियों को बिक्री के लिए'' लेबिल के आर–पार विकर्णवत लाल स्याही में निम्नलिखित संकेत वाक्य–
''प्रतिरक्षा कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा रखना पूर्णतः निषेध है''

(4) **किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य देश को निर्यात के लिए बोतल में भरी गई मदिरा के लेबिल ऐसे आकार (डिजाइन) के होंगे और उस पर ऐसे शब्द अंकित होंगे, जिनकी सम्बद्ध राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश के विनियमों द्वारा अपेक्षा की जाय। यदि प्रयुक्त लेबिल उत्तर प्रदेश में प्रयोग के लिये अनुमोदित लेबिलों से मिलते हों तो उन पर शब्द "केवल (राज्य संघ राज्य क्षेत्र या देश का नाम) में बिक्री के लिए" पुर्नमुद्रण टाइप दो पंक्ति (लाइन) पाइका से छोटा नहीं होगा।**

(5) बोतलों पर लेबिल इस प्रकार चिपकाए जायेंगे, जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें। बोतलों पर उभारे गये या बालुकाक्षेपित किसी भी शब्द अक्षर या अंक पर लेबिल नहीं चिपकाया जायेगा।

(6) प्रत्येक वर्ष लेबुल का प्रयोग करने के पूर्व लाइसेंसधारी उसकी ठीक वैसी ही चार प्रतियॉ आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रति लेबुल धारितावार प्रतिवर्ष लेबुल अनुमोदन शुल्क जमा करके उसके चालान की मूल प्रति के साथ सहायक आबकारी आयुक्त प्रभारी (आसवनी, यवासवनी व द्रक्षासवनी) को प्रस्तुत करेगा, जो उन्हें आबकारी आयुक्त को उनके अनुमोदनार्थ भेजेंगे। आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, लेबुल को अनुमोदित करेंगे, तो उस पर नम्बर अंकित करेंगे और अपनी शासकीय मुहर लगायेंगे। एक प्रति आबकारी आयुक्त के कार्यालय में अभिलेखार्थ रखी जायेगी तथा शेष तीन प्रति सहायक आबकारी आयुक्त प्रभारी (आसवनी, यवासवनी व द्राक्षासवनी) को वापस कर दी जायेगी, जो उसकी एक प्रति सम्बन्धित (आसवनी, यवासवनी व द्रक्षासवनी) को दूसरी प्रति प्रभारी निरीक्षक को सूचनार्थ एवं अभिलेखार्थ देगा। तीसरी प्रति अपने कार्यालय में अभिलेखार्थ रखेंगे। लाइसेंसधारी लेबुल के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(7) राज्य में निर्मित या भराई की गयी विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पट्टी पर कम से कम एक इंच आकार के काले रंग के अक्षरों में "फार सेल इन यूपी" मुद्रित कराया जायेगा **तथा पैक्ड कार्टन पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लगाने के साथ विभिन्न धारिता/तीव्रता/ब्राण्ड/पैकेजिंग टाइप की बोतलों की विनिर्दिष्ट संख्या पैक्ड कार्टन पर अंकित किया जायेगा।**

(20) (1) जब तक कि आबकारी आयुक्त ने अन्यथा स्वीकृति न दी हो, तब तक सभी बोतलें पिल्फर प्रूफ कैप्सूल या क्राउन कार्क सहित अल्मूनियम कैप्सूल द्वारा मजबूती से इस प्रकार सील बन्द की जायेंगी कि कैप्सूल को बिना काटे या तोड़े बोतल को खोलना सम्भव न हो, विभिन्न प्रकार की मदिरा के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले कैप्सूल मानक आकार के होंगे तथा उनके शीर्ष पर अनुज्ञापी का नाम अंकित होगा।

(2) अन्य राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या देश को निर्यात की जाने वाली मदिरा की बोतलों पर प्रयुक्त होने वाले कैप्सूल पर ऐसे शब्द अंकित होंगे, जैसा कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश समय–समय पर निर्देश दें।

(3) अनुज्ञापी अनिवार्य रूप से ऐसे कैप्सूल का प्रयोग करेगा, जो "इण्डियन स्टैण्डर्ड इन्स्ट्टियूट" द्वारा अनुमोदित प्रकार (पैटर्न) तथा विनिर्दिष्टयों के अनुरूप हो व कैप्सूल के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करेगा।

(21) अनुज्ञापी निम्नलिखित रजिस्टरों में लेखा रखेगा–

(1) प्रपत्र वि0म0 ख–3 में रजिस्टर, जिसमें अनुज्ञापी बोतल में भरने के लिये प्राप्त तथा जारी की गयी मदिरा की मात्रा, उसका विवरण तथा उसकी शक्ति दर्ज करेगा।

(2) प्रपत्र वि0म0 ख–4 में रजिस्टर, जिसमें अनुज्ञापी बोतल में भराई के लिये की गई प्रक्रिया का विवरण लिखेगा।

(3) प्रपत्र. वि0म0 ख–5 में रजिस्टर, जिसमें अनुज्ञापी भराई की गई तथा लाइसेंस प्राप्त भू–गृहादि में संग्रह की गयी विदेशी मदिरा की बोतलों का दैनिक लेखा रखेगा।

(4) प्रपत्र वि0म0 ख–6 में खाता बही, जिसमें अनुज्ञापी लाइसेंस प्राप्त भू–गृहादि में सम्पन्न किये गये सभी कार्य की संक्षिप्ति दर्ज करेगा।

(5) प्रपत्र वि0म0 ख–7 में रजिस्टर, जिसमें अनुज्ञापी महीने के अन्त में मदिरा की बल्क (जो बोतल में न भरी गई हो) तथा बोतल में भरी गई मात्रा दर्ज करेगा।

(6) प्रपत्र वि0म0 ख–8 में टंकियों का माप रजिस्टर।

(7) प्रपत्र वि0म0 ख–9 में डिप बुक पुस्तिका।

(8) **ये प्रपत्र डिजिटली भी अनुरक्षित किये जायेंगे तथा आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर दैनिक अपलोड किये जायेंगे।**

(22) **लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय के प्रत्येक बोतल, कैन अथवा टेट्रा पैक सहित पैकिंग कार्टन पर जिसमें बोतलों की संख्या/धारिता/तीव्रता/ब्राण्ड/पैकेजिंग का प्रकार अंकित होगा, शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड भराई के तुरन्त बाद निकासी के पूर्व लगायेगा तथा इस सम्बन्ध में यथानिर्धारित व्यवस्था**

आसवक/ यवासवक/द्राक्षासवक द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी। यह सभी रिकार्ड डिजिटल भी अनुरक्षित करने के साथ ही विभागीय पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किये जायेंगे।

(23) **लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विक्रय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बियर व वाइन के लेबुलों पर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करेगा जो सरलता से दृष्य हो।**

नियम–7. वि0म0–3 में अनुज्ञापन के अधीन कर देय ''बाण्ड में'' भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त विशेष शर्तें लागू होंगीः–

(1) अनुज्ञापी प्रपत्र पी0डी0बी0 में एक अनुबन्ध पत्र ''बाण्ड'' आबकारी आयुक्त द्वारा निश्चित की गयी प्रतिभूति के साथ निष्पादित करेगा। प्रतिभूति या तो नकदी में या ब्याज वाहक प्रतिभूति, सरकारी प्रामिशरी नोट, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डाक घर बचत बैंक पास बुक या डाकघर नकद प्रमाण पत्र में या स्टेट बैंक आफ इण्डिया या राज्य सरकार द्वारा यथाविधि अनुमोदित किसी अन्य बैंक की नियतकालिक जमा की रसीदों के रूप में दी जायेगी। यदि किसी समय आबकारी आयुक्त किसी कारण से यह समझता हो कि प्रतिभूति की इस प्रकार निश्चित की गयी धनराशि अपर्याप्त या अत्यधिक है, तो वह उसे बढ़ा या घटा सकता है।

(2) बोतलों में भराई से सम्बन्धित प्रक्रिया आबकारी निरीक्षक की देख रेख में की जायेगी।

(3) आबकारी आयुक्त बोतल में भराई से सम्बन्धित प्रक्रिया की उचित देखरेख के लिए आवश्यक आबकारी कर्मचारियों ''पर्सनल'' की संख्या निश्चित करेगा और उसके निर्णय का पालन करने के लिए अनुज्ञापी बाध्य होगा।

निकाल दिया गया है।

अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त के संतोषानुसार आबकारी कर्मचारियों के लिए भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने के लिए कर देय गोदाम के निकट, प्रत्येक कर्मचारी के मासिक वेतन के 10 प्रतिशत से अनधिक किराये पर क्वार्टरों की व्यवस्था करेगा।

अनुज्ञापी क्वॉटरों तथा उनके लगे स्थानों को ठीक प्रकार से मरम्मत कराकर रखने के लिए बाध्य होगा तथा उसमें रहने वाले अधिकारी को उसके प्रयोग या उसके उपभोग में न तो बाधा पहुॅचायेगा और न परेशान करेगा। यदि कोई प्रश्न उठे कि आवास स्थान के प्रकार तथा पर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वॉटरों के स्वामी द्वारा मांगा गया किराया ठीक तथा उचित है या नहीं तो यह मामला आबकारी आयुक्त को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा तथा अनुज्ञापी पर बाध्यकर होगा।

(4) बोतल में भराई सम्बन्धित पृथक कक्षों में की जायेगी जो भराई कक्ष कहलायेंगे और जो इस प्रयोजन के लिए भू–गृहादि के भीतर विदेशी मदिरा संग्रहागार के पास होगा। इन कक्षों में अनुज्ञापी छानने, भरायी करने या इससे सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित करेगा। बोतल भराई करने के कक्षों में विदेशी मदिरा का संग्रह करने के लिए बोतल भराई की टंकियां स्थापित की जायेंगीं। बोतल में भरी मदिरा का संग्रह पृथक कक्षों में किया जायेगा।

सभी कक्ष भलीभॉति हवादार होंगे। सभी खिड़कियां और रोशनदानों में मजबूत लोहे के छड़ लगाये जायेंगे, जो सीमेन्ट से जड़े होंगे और उनमें तार की जाली लगायी जायेगी, जाली के छिद्र 25 मि0मी0 से अधिक बड़े नहीं होंगे। प्रत्येक कक्ष के बाहर एक दखती लगायी जायेगी जिस पर स्पष्ट रूप से जिस उददेश्य के लिए उस कक्ष का प्रयोग किया जा रहा है, अंकित किया जायेगा। आबकारी निरीक्षक तथा अनुज्ञापी सभी कक्षों में अपने अलग ताले बन्द करेंगे।

(5) **बोतल में भराई कार्य मांग के अनुरूप लगातार किया जायेगा।**

(6) बोतलों में मदिरा की भराई सिवाय आबकारी निरीक्षक तथा अनुज्ञापी के किसी प्रतिनिधि की एक साथ उपस्थिति के नहीं की जायेगी तथा **बोतल भराई कार्य आई0पी0एड्रेस सहित सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में किया जायेगा।**

(7) आसवक, यवासवक और द्राक्षासवक की बोतल में भराई के लिए अपेक्षित मदिरा मापी जायेगी तथा मदिरा संग्रहागार में स्थायी रूप से लगाये गये पाइप द्वारा जिसमें कार्क हो तथा जिस पर आबकारी का ताला लगा हो या आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रकार से बन्द हो बोतल भराई कक्ष में लायी जायेगी।

(8) सेना के लिए रियायती दर पर जारी की जाने वाली रम की भराई ऐसे कक्ष ''कक्षों'' में जहॉ किसी अन्य प्रकार की मदिरा की बोतल में भराई की जाती हो से भिन्न कक्ष ''कक्षों'' में करने की अनुमति दी जायेगी। बोतल में भरी गयी रियायती दर की रम का संग्रह अन्य किसी मदिरा के साथ नहीं किया जायेगा।

(9) बोतल में भराई के कर देय गोदाम का प्रभारी आबकारी निरीक्षक निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा।

(1) प्रपत्र वि0म0–3 में रजिस्टर

(2) प्रपत्र वि0म0–4 में रजिस्टर

(3) प्रपत्र वि0म0–ख–5 में रजिस्टर

(4) प्रपत्र वि0म0–ख–6 में खाता बही

(5) प्रपत्र वि0म0–ख–7 में रजिस्टर

(6) प्रपत्र वि0म0–ख–9 में डिप पुस्तिका

(7) **ये प्रपत्र डिजिटली भी अनुरक्षित किये जायेंगे तथा विभागीय अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किये जायेंगे।**

(10) प्रत्येक कलेण्डर मास के अन्तिम कार्य दिवस को, उस दिन का सम्पूर्ण कार्य समाप्त किये जाने के पश्चात, प्रभारी आबकारी निरीक्षक बोतल में भराई के कर देय गोदाम, में संग्रहीत बोतलों में न भरी गई तथा बोतलों में भरी गई मदिरा की जांच करेगा, उसे नियत रजिस्टरों में दर्ज करेगा और भराई की प्रक्रिया तथा कर देय गोदाम में संग्रह करने में हुई मदिरा के छीजन को सुनिश्चित करेंगा।

(11) (क) बोतल में भराई तथा संग्रह करने में वास्तविक हानि के लिये एक मास की अवधि में संग्रहित स्प्रिट तथा बीयर की कुल मात्रा पर एक प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है। एक प्रतिशत से अधिक छीजन पर लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क का देनदार होगा।

(ख) जब छीजन विहित सीमा से अधिक न हो, तो प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि स्टाक की मासिक जांच के समय छीजन अधिक पायी जाय तो आबकारी निरीक्षक अगले मास की पांचवी तारीख तक कलेक्टर को प्रपत्र वि0म0 बी0–10 में एक विवरण पत्र प्रेषित करेगा, जिसमें छीजन की वास्तविक मात्रा तथा लाइसेंसधारी द्वारा अतिरिक्त छीजन पर देय प्रतिफल शुल्क उल्लिखित होगा। विवरण पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर भारत निर्मित विदेशी स्प्रिट पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की निम्न दर पर लाइसेंसधारी से प्रतिफल शुल्क वसूल करेगा।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा (बोतल में भरी हुई)– भारत निर्मित विदेशी मदिरा की सम्बधित श्रेणी पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की दर से।

(12)– भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिये कर देय गोदाम का प्रभारी आबकारी निरीक्षक जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाय, उस समय **उप आबकारी आयुक्त** के जिसके प्रादेशिक प्रभार में कर देय गोदाम स्थित हो, पर्यवेक्षण में कार्य करेगा और उसके साथ पत्र व्यवहार करेगा। कर देय गोदाम के कार्यकरण से सम्बन्धित सभी सामान्य मामलों में अनुज्ञापी को चाहिये कि वह प्रथमतः प्रभारी आबकारी निरीक्षक को आवेदन पत्र दे, जो यदि आवश्यक हो, उच्च आदेश प्राप्त करेगा।

(13)– भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिये कर देय गोदाम पर नियुक्त निरीक्षकों की उपस्थिति का शिफ्ट और समय सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किया जायेगा। कर देय गोदाम पर नियुक्त आबकारी निरीक्षक, लिपिकों और सिपाहियों की उपस्थिति का समय नियत करेगा। सामान्यतया प्रत्येक अधिकारी की प्रतिदिन आठ घण्टें से अधिक समय के लिये ड्यूटी न होगी। **अनुज्ञापी बाटलिंग का कार्य चौबीस घन्टे कर सकता है, जिसमें तीन शिफ्ट प्रातः 06.00 बजे से 02.00 बजे अपरान्ह तक, 02.00 बजे अपरान्ह से रात्रि 10.00 बजे तक तथा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक होगी।**

(14)– भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतल भराई के लिये बंधित गोदामों पर तैनात आबकारी कर्मचारी वर्ग हेतु अनुज्ञात अवकाश दिवस निम्नलिखित हैं:–

रविवार, गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), गुडफ्राइडे, महात्मा गांधी का जन्म–दिवस (सरकारी), स्वतंत्रता दिवस, क्रिसमस दिवस, होली (होलिका दहन का अगला दिन), जन्माष्टमी, दशहरा (मुख्य दिवस), दीवाली (मुख्य दिवस), ईदुल फितर (मुख्य दिवस), ईदुज्जुहा, मुहर्रम (दसवां दिन) शब–ए–बरात, अन्य राजपत्रित अवकाश की अनुमति तभी होगी, यदि आसवक विशेष आधार पर आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से स्वयं बन्द करते हैं।

निकाल दिया गया है।

निकाल दिया गया है।

(15)– भारत निर्मित विदेशी मदिरा के बोतल में भरने का कर देय गोदाम केवल उन व्यक्तियों के प्रवेश तथा निर्गमन के लिये खुलेगा, जिनको उनके अन्दर काम हो। आबकारी विभाग के अधिकारियों तथा अन्य सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, अनुज्ञापीगण, उसके सेवकों तथा ऐसे लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को, जो शराब खरीदने के लिये आये हों, के अलावा अन्य

किसी को किसी भी बहाने भू–गृहादि में प्रवेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा सेवायोजित समस्त व्यक्तियों के नाम होंगे।

(16)– भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के लिये कर देय गोदाम में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्ति अपने आचरण के सम्बन्ध में और गोदाम के अन्दर कार्यवाहियों के लिये प्रभारी आबकारी निरीक्षक के आदेश के अधीन होंगे और भूगृहादि को छोड़ने के समय उनकी तालाशी प्रभारी आबकारी निरीक्षक के विवेकानुसार ली जा सकेगी।

(17) – यदि अनुज्ञापी की जानकारी मे यह बात आये कि उनके द्वारा सेवायोजित किसी व्यक्ति ने आबकारी विधियों को या उसके द्वारा किये गये वचन–बंध का उल्लंघन किया है, तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह जिलाधिकारी को मामले की रिपोर्ट करे और ऐसे व्यक्ति को सेवा में बनाये रखने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन करे।

(18) – भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के कर देय गोदाम के प्रभारी आबकारी निरीक्षक किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने इन नियमों या एक्साइज एक्ट के उपबन्धों का उल्लंघन किया है या करने वाला है, या तो नशे में है या अनुशासनहीन है, भू–गृहादि से निकाल सकता है और बाहर कर सकता है। वह इस नियम के अधीन किये गये समस्त कार्यों को लिखित रूप में उल्लेख अपनी सरकारी डायरी में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सूचनार्थ तत्काल करेगा।

(19)– अनुज्ञापी भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के कर देय गोदाम के प्रबन्ध और वहॉ से विदेशी मदिरा की निकासी के लिये समस्त सामान्य नियमों से, जो पहले से ही प्रवृत्त हो या जो एतद्पश्चात् वर्तमान आबकारी विधियों या किसी अन्य विधि के अधीन जो एतद्पश्चात् अधिनियमित की जाय, नियत किये जायं तथा किसी एक कर देय गोदाम के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये समस्त विशेष आदेशों से बाध्य होगा और उसके द्वारा मदिरा के निर्माण, निकासी आदि के कार्य के लिये सेवायोजित समस्त व्यक्तियों से ऐसे सभी नियमों का पालन करेगा।

(20) (i)– कोई मदिरा, सिवाय प्रपत्र वि0म0–11 में पास, **जिस पर सिक्योरिटी कोड चस्पा किया जायेगा, जिसमें पारेषण के विस्तृत विवरण सहित परिवहन किये जाने वाले विशिष्ट वाहन का भी विवरण अंकित होंगे** के अन्तर्गत जो इस सम्बन्ध में अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया हो, हटाई नहीं जायेगी। पास उपशुल्क की पूरी अदायगी के प्रमाण पर या अनुबन्ध के निष्पादन के प्रमाण पर जारी किया जायेगा। यह तीन प्रतियों में होगा, एक प्रति अनुज्ञापी को परिवहन या निर्यात को आवरित करने के लिये दी जायेगी, दूसरी प्रति परिवहन या निर्यात वाले जिले के मुख्य राजस्व प्राधिकारी को अग्रसारित की जायगी और तीसरी प्रति अभिलेख के लिये रख ली जायेगी। **सभी अभिलेख डिजिटली भी अनुरक्षित करते हुए विभागीय अभिहित पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे।**

(ii) कर देय मदिरा जारी की जाने की दशा में अनुज्ञापी मदिरा को, यथास्थिति, किसी स्थान विशेष या गन्तव्य स्थान पर देने के निमित्त प्रपत्र वि0म0–ख ख 1 या वि0म0 ख ख 2 में प्रतिभूत सहित या प्रतिभू रहित, जो इष्टकर हो, एक सामान्य या विशेष बन्ध–पत्र निष्पादित करेगा।

(iii) विशेष बन्ध–पत्र के अन्तर्गत जारी की गयी मदिरा की दशा में, अनुज्ञापी द्वारा इस बात का प्रमाण देने पर कि उसने मदिरा गन्तव्य स्थान पर दे दी है, बन्ध–पत्र उन्मुक्त कर दिया जायगा, बशर्ते बन्ध–पत्र की किसी भी शर्त का अतिलंघन न किया गया हो। किसी सामान्य–बन्ध पत्र के अधीन जारी किये गये परेषण पर देय शुल्क को अनुज्ञापी द्वारा इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि मदिरा गन्तव्य स्थान पर दे दी गयी है, बट्टे खाता डाला जायेगा, बशर्ते बन्ध–पत्र की किसी भी शर्त का अतिलंघन न किया गया हो।

(iv) यदि अनुज्ञापी बन्ध पत्र या पास में उल्लिखित समय के भीतर गन्तव्य स्थान पर मदिरा दे दिये जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है अथवा यदि यह प्रतीत हो कि बन्ध–पत्र की किसी शर्त का अतिलंघन किया गया है, तो प्रभारी आबकारी निरीक्षक, निष्पादक या इसके प्रतिभूओं से बन्ध–पत्र के अधीन शास्ति वसूल करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(v) प्रपत्र वि0म0 ख–12 में बन्ध पत्र का एक रजिस्टर रखा जायगा और कर देय प्रत्येक निर्गम जिस दिन यह दिया जाय, इस रजिस्टर में दर्ज किया जायगा। यह सूचना प्राप्त होने पर कि परेषण यथाविधि आ गया है, बन्ध–पत्र रजिस्टर के संगत स्तम्भ में इस आशय की प्रविष्टि की जायगी और बन्ध पत्र को, जहॉ तक उक्त परेषण का सम्बन्ध है, उन्मुक्त कर दिया जायगा।

जैसे ही किसी परेषण से सम्बन्धित प्रविष्टियॉ पूरी हो जायं, बोतल भराई के गोदाम का प्रभारी आबकारी निरीक्षक, उन पर एक लाल रेखा खींचेगा, जिससे कि वह एक दृष्टि में मार्गस्थ मदिरा की मात्रा देख सके तथा निर्गमादि को बन्ध पत्र में उल्लिखित धनराशि तक सीमित कर सके।

(vi) मदिरा की सम्पूर्ण मात्रा का परिवहन एक कनसाइनमेन्ट में किया जायेगा और ट्रांजिट में ब्रेक नही किया जायेगा तथा कनसाइनमेन्ट का संचालन ई–ट्रांजिट पास में विनिर्दिष्ट मार्ग से विचलित नहीं किया जायेगा, जिसके व्यतिक्रम से सरकार द्वारा यथानिर्धारित शास्ति, डिस्टिलरी के लाइसेंसधारी पर अधिरोपित किया जायेगा।

(vii)यदि कोई डिस्टिलरी एक ही विधिमान्य पास पर एक से अधिक बार कनसाइनमेन्ट ट्रांजिट करने हेतु ई–ट्रांजिट का कपट एवं क्षद्मपूर्ण हुई पायी जाती है तो डिस्टिलरी का प्रभारी अधिकारी और डिस्टिलरी दण्ड के भागी होंगे।

(21)– भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने के कर देय गोदाम से निकासी अनुज्ञापी द्वारा निम्न प्रकार से की जा सकती है:–

(1) विदेशी मदिरा के निर्यात तथा परिवहन को नियंत्रित करने वाले नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार विदेशी मदिरा की अनुबन्ध के अन्तर्गत निकासी व्यक्तियों तथा स्थानों को की जा सकती है।

(2) उपशुल्क का भुगतान करने पर विदेशी मदिरा की निकासी–

(1) उस भू–गृहादि को, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञापी ने विदेशी मदिरा के विक्रय के लिये थोक बिक्री का अनुज्ञा पत्र ले रखा हो।

(2) निम्न दर पर उप शुल्क भुगतान करने पर निर्यात तथा परिवहन के नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार भारत में सैनिकों को की जा सकती है।

(3) उक्त नियमावली में वि0म0 बन्ध–पत्र ख–1 के पश्चात् निम्नलिखित नये वि0म0 बन्ध–पत्र ख–1 और वि0म0 बन्ध–पत्र ख–2 एवं पी0डी0बी0 प्रवृत्त हैं।

(4) उक्त नियमावली में वि0म0 ख–11 के बाद वि0म0 ख–12 बढ़ा दिया गया है।

प्रपत्र वि0म0–3

भारत निर्मित समुद्र पार स्प्रिट/वाइन/बियर का बाण्डों के अन्तर्गत उपशुल्क का भुगतान किये बिना उपशुल्क का भुगतान करने के पश्चात बोतलों में भराई के लिये लाइसेंस

रजिस्टर संख्या–..

लाइसेंसधारी का नाम ....

परिक्षेत्र ....

श्री .... को .... जिले में .... से .... तक ....

की अवधि के लिये।

भारत निर्मित स्प्रिट/वाइन/बियर का समुद्रंपार बाण्ड के अन्तर्गत उप शुल्क का भुगतान किये बिना उप शुल्क का भुगतान करने के पश्चात नीचे विनिर्दिष्ट परिसर में, बोतल में भराई करने का लाइसेंस जिसके लिये 1,00,000/– (एक लाख) रूपये की प्रतिभूति का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने से सम्बन्धित नियमों के प्राविधानों के, जिनमें से किसी के व्यतिक्रमण पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्धि पर उपयुक्त विधियों के अधीन आरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंस धारी का लाइसेंस और जमा प्रतिभूति समपहृरणीय होंगे, अधीन दिया जाता है।

लाइसेंस प्राप्त–परिसर का विवरण
(अक्षांश/देशान्तर सहित जिओटैगिंग)

(1) बोतल भराई कक्ष से विदेशी मदिरा की बोतल की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु निकासी तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि उन पर विकी हेतु आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड लगाया न गया हो।

(2) लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिए बोतलों के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर अनुमोदित अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य इस प्रकार मुद्रित करेगा जो सरलता से दृष्य हो।

(3) लाइसेंसधारी पेट/कॉच की बोतलों पर उभरे हुए अक्षरों (embossed) में ''यू0 पी0 एक्साइज'' एवं धारिता अंकन करने हेतु प्रबन्ध करेगा।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

नवीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन

यह लाइसेंस, एतदद्वारा एतद्पूर्व कथित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है।

अवधि ....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

प्रपत्र एफ0एल0–3(क)
(नियम–2(1)(ग) देखें)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतल में भरने हेतु लाइसेंस
रजिस्टर संख्या–...
लाइसेंसधारी का नाम ....
परिक्षेत्र ....
श्री .... को .... (स्थान) पर जिला .... में .... से .... तक की अवधि के लिये भारत निर्मित /आयातित स्प्रिट अर्थात व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन और रम की बोतलों में भरने के लिए बाण्ड के अन्तर्गत शुल्क जमा किये बिना / शुल्क का भुगतान कर देने पर नीचे विनिर्दिष्ट परिसर में, लाइसेंस जिसके लिए 1,00,000/–(एक लाख)रूपये की प्रतिभूति का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने से सम्बन्धित नियमों के प्राविधानों के, जिनमें से किसी के व्यतिक्रमण पर या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोष सिद्धि पर उपयुक्त विधियों के अधीन आरोपित किसी शास्ति के अतिरिक्त लाइसेंसधारी का लाइसेंस और जमा प्रतिभूति समपहृरणीय होंगे, अधीन दिया जाता है।

लाइसेंस प्राप्त–परिसर का विवरण
(अक्षांश/देशान्तर दर्शित करते हुए जिओटैगिंग)

<u>शर्तें</u>

1– भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बाटलिंग से पूर्व लाइसेंसधारी सम्बन्धित आसवनी से बोतल में भरने के विशेषाधिकार को पट्टे पर प्राप्त करेगा।
2– लाइसेंसधारी बोतलों में भरने हेतु भारत निर्मित स्प्रिट जैसी और जब आवश्यकता हो, केवल बल्क में प्रचलित दर पर शुल्क का भुगतान करके उसे आसवक से प्राप्त करेगा, जिसने उसे बोतल में भरने के अपने विशेषाधिकार को पट्टे पर दिया हो या समनुदेशित किया हो।
3– लाइसेंसधारी इस प्रकार पट्टे पर दी गयी या समनुदेशित वार्षिक मात्रा से अधिक भारत निर्मित विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने का हकदार नहीं होगा। इस हेतु पट्टा दाता आसवनी अनुबन्ध के अनुसार अपनी अधिष्ठापित पेय क्षमता में से उक्त मात्रा कम कर देगी।
4– लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अपने द्वारा भरी गयी बोतलों के लेबिलों पर अपना ब्राण्ड नाम अंकित करने का हकदार होगा।
5– जबतक राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा इस अनुज्ञा–पत्र के अलावा अलग से विशेष रूप से अनुज्ञा न दे दी जाय, दोनो पक्ष के लिए बोतल भराई के परिसर में स्प्रिट का रंगना, सम्मिश्रण करना (ब्लेण्डिंग), सुवासित करना फ्लेवरिंग और तीव्रतावरोह करना (रिडक्शन) निषिद्व रहेगा।
6– लाइसेंसधारी उत्तर प्रदेश में विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु एफ0एल0–1ए लाइसेंस प्राप्त करेगा।
7– लाइसेंसधारी बोतल भराई फीस नियमों के अधीन निहित दर पर और निर्धारित रीति से जमा करेगा।
8– लाइसेंसधारी विदेशी मदिरा से सम्बन्धित नियमों और विनियमों और विदेशी मदिरा के निर्गम, आयात, परिवहन और निर्यात से सम्बन्धित नियमों का जैसा कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और तद्धीन बनाये गये नियमों में दिये गये हैं, कठोरता से पालन करेगा।
9– लाइसेंसधारी अपने उत्पादों की बोतलों में भराई के पश्चात उसका स्टाक अलग से रखा जायेगा।
10– लाइसेंसधारी द्वारा समस्त तकनीकी सूचनाएं विभाग को समयानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
11– लाइसेंसधारी द्वारा बोतलों में भरी गयी मदिरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बाहर बेची जा सकती है।
12– आबकारी आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा एफ0एल0–3क परिसर का प्राविधिक निरीक्षण किया जायेगा और संतोषजनक रिपोर्ट पाये जाने के पश्चात बोतल भराई कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

नवीकरण सम्बन्धी पृष्ठांकन

यह लाइसेंस, एतद्द्वारा एतद्पूर्व कथित शर्तों पर निम्नलिखित अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है।

अवधि ....

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

FORM F.L.B.B.-1
See Rule-7 (20) (ii)

Form of general bond to be executed for the removal of Indian Made Foreign Liquor from Indian Made Foreign Liquor bottling bonded warehouse for transport/export without prepayment of consideration fee.

This indemnity bond made the .... the day of .... 20 .... between .... son of .... resident of .... etc. (hereinafter called the Licensee/Licensees which expression shall include his/their heirs, representatives, successors and assigns) on the first part and .... son of .... resident of (hereinafter called the first surety) and son of .... resident of (hereinafter called the second surety) hereinafter collectively referred to as the sureties, which expression shall include his/their heirs, representatives, successors and assigns) on the second part and the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called "The Governor" which expression shall include his successors and assigns on the third part.

Where under the rules of the Government of Uttar Pradesh in the Excise Department the licensee/ licensees is/are permitted toi transport/export from time to time during the period .... to .... Indian Made Foreign Liquor from his/her licence at .... at all or any of the bonded warehouses mentioned in t he passes covering such transport/export without previous payment of Consideration Fee on the licensee/licensees executing an indemnity bond, with sureties on the terms and conditions hereinafter mentioned-

Now this bond witness and the licensee/licensees and the sureties, jointly and severally, hereby covenants/covenant with the Governor as follows:

1- That during the period .... to .... the licensee/Licensees shall not at any one time so transport/export any quantity of Indian Made Foreign Liquor the consideration fee on which at the rate prescribed therefore at the time or the aggregate of such Consideration fee together with the consideration fee at the aforesaid rate on any quantity previously transported/exported at destination shall exceed the sum of Rs. ....

Provided that any allowance sanctioned for drayage and wastage and any quantity not delivered at destination for which consideration fee has been paid under class 3 hereinafter following shall not be included in the calculation of the quantity not delivered at destination.

2- That the Licensee/Licensees shall within the time mentioned in his/their pass issued by the officer-in-charge of the bonded warehouse on each occasion of the transport/export of indian made foreign liquor within such further time as may be granted by way of extension by the Collector of the transporting/exporting district, deliver of cause to be delivered the indian made foreign liquor so transported/exported on that occasion into the custody of the officer-in-charge of the bonded warehouse mentioned in the pass.

3- That if the quantity of indian made foreign liquor transported / exported on any occasion after deducting such allowance for dryage and wastage as may be sanctioned shall not have been delivered at the destination as hereinbefore agreed, the licensee/licensees and the sureties, jointly and severally, shall indemnity the Governor for any loss of consideration Fee, which the governor may suffer by reason of such non-delivery or short delivery by paying to him on demand the consideration fee at the rate then in force on any quantity of indian made foreign liquor not so delivered after making the allowance aforesaid.

4- Without prejudice to any remedy provided by law the Government of Uttar Pradesh be entitled to recover all dues hereunder from the licensee/Licensees and /or the sureties as arrears and land revenue.

In witness whereof the Licensee/Licensees and the Sureties has/have hereunto set his hand/their hands hereunder on the day and the year first above written.

Su-rules as hereby substituted in the presence of -

1

2

Signed by First Surety
First Surety

1

2

Signed by First Surety
Second Surety

FORM F.L.B.B.- 2
See Rule-7 (20) (ii)

Form of special bond to be executed for the removal of Indian Made Foreign Liquor from Indian Made Foreign Liquor bottling bonded warehouse for transport/export without prepayment of consideration fee.

This indemnity bond made the .... the day of .... 20 .... between .... son of .... and son of resident of .... etc. (hereinafter called the Licensee/Licensees which expression shall include his/their heirs, representatives, successors and assigns) on the first part and .... son of .... Resident of (hereinafter called the first surety) and son of .... resident of (hereinafter called the second surety) hereinafter collectively referred to as the sureties, which expression shall include his/their heirs, representatives, successors and assigns) on the second part and the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called "The Governor" which expression shall include his successors and assigns on the third part.

Whereas the licensee/ licensees having been permitted to remove .... bulk liters of Indian Made Foreign Liquor of the strength of .... degree spurted by the proof from his/their bonded warehouse at .... to the bonded warehouse as .... without previous payment of the Consideration fee thereon the licence / licensees and the sureties, execute this indemnity bond on the terms and conditions hereinafter appearing.

And whereas the Consideration Fee on said quantity of indian made foreign liquor at the present rate of Rs. .... per bulk litre amounts to Rs. ....

Now this bond witness and the licensee/licensees and the sureties, jointly and separately, hereby covenants/covenant with the Governor as follows:

1- That the licensee/licensees shall on or before the expiration of .... days thereof or within such further time as may be granted by way of extension by the Collector of .... District deliver or cause to be delivered the above mentioned .... Bulk litre of indian made foreign liquor into the custody of the Officer in charge of the said bonded warehouse

2- That if above mentioned .... litres of indian made foreign liquor after deducting such allowance for dryage and wastage as may be sanctioned shall not have been delivered at the destination as hereinbefore agreed, the licensee/ licensees and the sureties, jointly and separately, shall not have been delivered at the destination as herein before agreed, the licensee/licensees and the sureties, jointly and separately, shall indemnify the Governor for any loss of Consideration Fees, which the governor may suffer by reason of such non-delivery or short delivery by paying to him on

demand the Consideration Fees at the rate of Rs .... per bulk litre indian made foreign liquor not so delivered after making the allowance aforesaid.

3- Without prejudice to any other remedy provided by law the Government of Uttar Pradesh shall be entitled to recover all dues hereunder from the licensee/licensees and/or the sureties as arrears of land revenue.

In witness whereof the licensee/licensees and the Sureties has have hereunto set his hand/their hands, the day and the year first above written.

Signed by
Licensee/Licensees

1

2

Signed by First Surety
First Surety

1

2

Signed by First Surety
Second Surety

FORM P.D.B.
See Rule-7 (1)

Bond (With Security), to be entered into by the licensee of a bonded warehouse for the bottling of indian made foreign liquor.

(Delete the letters and words not applicable)

I/We .... of .... (hereinafter called obligor (s) as/are jointly and separately bound to the Governor of Uttar Pradesh in the sum of .... rupees to be paid to the Governor of Uttar Pradesh for which payment I/we jointly/separately bound my self/ourselves and my/our legal representatives.

Whereas the above bounded obligor (s) has/have obtained a licence for the bottling of indian made foreign liquor at ....

Whereas the Excise Commissioner UP (hereinafter called the Commissioner) has required the obligor (s) to deposit as security for the amount of this bond, the sum of rupees .... the securities as hereinafter mentioned of a total face value rupees endorsed in commissioner's favour .... and whereas the obligor (s) has/have furnished such security by depositing with the Commissioner the cash securities as aforementioned.

The condition of this bond is that the obligor (s) and his/their legal representatives shall observe all the provision of the UP Excise Act IV, 1910 and rules made there under relating to payment of consideration fee and shall produce for payment of consideration fee all liquor on which consideration fee has not been paid which is brought into the bonded warehouse for bottling or shall deposit such liquor in store room or other place of storage approved by the Commissioner under the UP Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969 or any modification thereof or shall otherwise account for to the satisfaction of the Commissioner, such liquor and shall not remove from the approved premises or from the store room or other place of storage, before the proper consideration fee has been paid, any liquor except as provided to in the rules.

And if the obligor (s) or his/their legal representatives shall pay into the restudy to the account of the Commissioner, all dues whether excise consideration fee or other lawful charges, which shall be demandable from the obligor (s) as shown in the records of the

Excise Inspector-in-charge, within ten days from the date of demand there of being made in writing by the said officer.

The obligation shall be void.

Otherwise and on breach in the performances of any part this condition, the same shall be in full force.

And the Governor of Uttar Pradesh, shall at his option, be competent to make good all the loss and damages from the amount of the security deposit or by enforcing his rights under the above written bond or by both. And the Governor of Uttar Pradesh, shall at his option, be competent to make good all the loss and damages from the amount of the security deposit or by enforcing his rights under the above written bond or by both. And without prejudice to any other remedy provided by law or by this bond the Governor or Uttar Pradesh may recover all the said dues from the bonded obligor(s) as arrears of land revenue.

I/we declare that this bond is given under the orders of the State Government for the performance of an act in which the public are interested.

Signature(s) of obligor (s)
Place ....
Date ....

Witness
(1) Address ..... (1) occupation ....
(1)
(2) .... (2) .... (2) ....

Accepted by me this .... day of .... for and on behalf of the Governor of Uttar Pradesh.

Note:- Advaloram Stamp duty is payable on this bond by the obligor(s)

FORM F.L.B.-1
(See Rule-4)

Application for renewal of licence to bottle Indian made spirit (Wine) Beer in bond/outside bond.

To,
The Excise Commissioner
Allahabad.

Sir,

I/We .... residing at .... district .... request that the accompanying licence in Form F.L.-3 for bottling of foreign spirit/wine/beer may be renewed for the year ending 31st March 19

2. I/We hereby declare the particulars (in the table overleaf) of the premises where bottling shall be carried on.

3. I/We agree to abide by the terms and conditions of the licence which may be renewed.

4. I/We have enclosed the site and elevation plans of the bottling premises.

5. I/We hereby declare that no excise licence previously held by me/us has been suspended or cancelled or has failed to be renewed owing to a breach of the rules governing the grant of such licence.

I/We declare that to the best of my/our knowledge and belief the information furnished herewith is true and complete.

I/We hereby declare that I/We am/are not in arrears of any Excise dues.

Place ....
Date ....

Signature of the applicant(s)

I hereby certify that I have verified from relevant records and have found that there are no arrears of excise dues against the applicant(s).

Place ....
Date ....

Signature of the applicant(s)

Table

The name of the place and the site on which the bottling premises are situated	Brief description (with boundaries) of the premises	Description of each main division or sub-division of the bottling premises
1	2	3

FORM F.L.B.-2
(See Rule-5(iii))

Statement showing bottling of foreign liquor during the previous year and the amount of licence fees assessed for previous year and advance to be realised for the current year.

Sr.	Name of bottler	Locality	Licence fees realized in advance
1	2	3	4

Bottling done during the previous year					
Spirit and wines	Rate of bottling fee per bottle	Amount of fees	Beer	Rate of bottling fee per bottle	Amount of Fee
5	6	7	8	9	10

Total Amount of Licence (Col.7 and 10)	Order by Excise Commissioner, UP	Remarks
11	12	13

FORM F.L.B.-3
(See Rule-6(21)(1)

(1) Register of receipt and issue of foreign liquor for bottling in the licensed bottling premises at............ District ....

Month and date	description of liquor	opening balance		
		Quantity in Bulk Lit.	Strength	Quantity in Alcoholic Litres
1	2	3(a)	3(b)	3(c)

Receipts					
Name of distillery from where received	No. of Pass	Date of Pass	Quantity in Bulk Lit.	Strength	Quantity in Alcoholic Litres
4(a)	4(b)	4(c)	4(d)	4(e)	4(f)

Total of col, 3 and 4		Issued for Bottling		
Quantity in bulk litres	Quantity in L.P. litres	Quantity in Bulk Litres	Strength	Quantity in Alcoholic Litres
5(a)	5(b)	6(a)	6(b)	6(c)

Balance at the close of the day		Remarks
Quantity in bulk litres	Quantity in Alcoholic litres	
7(a)	7(b)	

FORM F.L.B.-4
(See Rule-6(21)(ii)

(2) Register of bottling operations carried as in the licensed bottling premises/ distillery at .... District ....

Date	Description of liquor	Quantity issued for bottling			
		No. of Vat from which issued	Bulk Litres	Strength	Alcoholic Litres
1	2	3(a)	3(b)	3(c)	3(d)

No. of Bottles								
750 ml	650 ml	600 ml	500 ml	375 ml	325 ml	300 ml	250 ml	180 ml
4(a)	4(b)	4(c)	4(d)	4(e)	4(f)	4(g)	4(h)	4(i)

Quantity contained in the bottles filled			Balance in hand		
Bulk Lit.	Strength	Alcoholic Litres	Bulk Lit.	Strength	Alcoholic Litres
5(a)	5(b)	5(c)	6(a)	6(b)	6(c)

Issues

Wastage in Bottling		Remarks
Bulk Lit.	Alcoholic Litres	
7(a)	7(b)	8

Note:- A Separate register should be opened for each variety and strength.

FORM F.L.B.-5
(See Rule-6(21)(iii)

(3) Register of daily account of foreign liquor bottled and stored in the licensed premises/distillery at .... District ....

Balance in hand									
(2)									
Month and Date	(2-a) number of bottles with capacities								
	750 ml	650 ml	600 ml	500 ml	375 ml	325 ml	300 ml	250 ml	180 ml

Total in Bulk Litres (2-b)	Strength (2-c)	Total in Alcoholic Litres (2-d)

Receipts (bottling gone)								
(3)								
(3-a) number of bottles with capacities								
750 ml	650 ml	600 ml	500 ml	375 ml	325 ml	300 ml	250 ml	180 ml

Total in Bulk Litres (3-b)	Strength (3-c)	Total in Alcoholic Litres (3-d)

Total in Hand								
(4)								
(4-a) number of bottles with capacities								
750 ml	650 ml	600 ml	500 ml	375 ml	325 ml	300 ml	250 ml	180 ml

Total in Bulk Litres (4-b)	Strength (4-c)	Total in Alcoholic Litres (4-d)

(4)								
(5-a) number of bottles with capacities								
750 ml	650 ml	600 ml	500 ml	375 ml	325 ml	300 ml	250 ml	180 ml

Total in Bulk Litres (5-b)	Strength (5-c)	Total in Alcoholic Litres (5-d)

Balance at the close of the day (6)								
(6-a) number of bottles with capacities								
750 ml	650 ml	600 ml	500 ml	375 ml	325 ml	300 ml	250 ml	180 ml

Total in Bulk Litres (6-b)	Strength (6-c)	Total in Alcoholic Litres (6-d)

Quantity of liquor issued for bottling during the day		Quantity of liquor bottled during the day	
(7)		(8)	
bulk litres	Alcoholic litres	bulk litres	Alcoholic litres

Wastage in Bottling	
(9)	
bulk litres	Alcoholic litres

FORM F.L.B.-6

(See Rule-6(21)(iv)

Ledger showing transactions during a month in the licensed premises of bottling at .... District.................... Month ....

Stock of Foreign liquor remaining at the end of the previous month in bulk/ Alcoholic litres			Receipt of foreign liquor during the present month		
(1)			(2)		
un bottled	bottled	Total	Date	Name of distillery	Quantity bulk/ Alcoholic Litres
(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)

Total of Columns (1) and (2) in Bulk/ Alcoholic Litres		
(3)		
un bottled	bottled	Total
(a)	(b)	(c)

Total issues of foreign liquor during the month		Total Quantity of foreign liquor bottled during the present month	
(4)		(5)	
Date	Bulk / Alcoholic Litres	Date	Bulk / Alcoholic Litres
(a)	(b)	(a)	(b)

Total issues of Bottled Foreign liquor during the month		Calculated balance at the end of the present month in Bulk/ Alcoholic Litres		
(6)		(7)		
Date	Bulk/ Alcoholic Litres	un bottled	bottled	Total
(a)	(b)	(a)	(b)	(c)

Actual balance of Foreign spirit in hand at the end of the month in Bulk/ Alcoholic Litres		
(8)		
un bottled	bottled	Total
(a)	(b)	(c)

Wastage in Alcoholic Litres				
(9)				
in Storage	in bottling	Total	in Alcoholic Percentage	Remark
(a)	(b)	(a)	(b)	(10)

FORM F.L.B.-7
(See Rule-6(21)(v)

(5) Monthly stock taking of Bulk (un-bottled) foreign liquor and bottled foreign liquor in the licensed premises of bottling at .... district .... month .... 19.

A-STOCK OF BULK (UN-BOTTLED) FOREIGN LIQUOR

Description of liquor	number of vat	Dip	Temperature	indication strength	Bulk Litres	Alcoholic Litres	Remarks
Total							

B-STOCK OF BOTTLED FOREIGN LIQUOR

Date	Vat No.	Dip.	Temperature	Indication	Strength	Remark
1	2	3	4	5	6	7

Description of liquor	Number of bottles				
	750 ml	650 ml	600 ml	500 ml	375 ml
Total					

315 ml	300 ml	250 ml	180 ml	number of bulk litres	strength	number of Alcoholic Litres
Total						
Grant Total						

FORM F.L.B.-8
(See Rule-6(2)(vi)

GAUGE REGISTER OF VATS

No. ________________

Table of dimen sions	Wet centim eters	Litres				
		One fifth of a centimeter				
		0	2	4	6	8

FORM F.L.B.-9
(See Rule-6(2)(vii)
DIP Book

DIP Book

Date	Vat No	Dip.	Temperature	Indication	Strength	Remark

FORM F.L.B.-10
(See Rule-7(11)(b)

Statement showing the storage and bottling wastage in the bottling bonded warehouse and the duty payable on the excess wastage of spirit/beer.

Name of the month ....
Name of the Licensee ....

Stock of Indian made spirit/beer remaining at the end of the previous month in A.L. /B.L.	Total Receipt of foreign spirit in A.L./ beer in B.L. during the present month	Total of Column (1) and (2) in A.L./ B.L.	Total quantity of foreign spirit/beer issued during the month in A.L./B.L. for bottling.	Total issue of bottled Indian made foreign spirit /beer during the present month in A.L./ B.L.	Total issued of bottles Indian made foreign spirit /beer during the present month in A.L./B.L.	Calculated balance of Indian made foreign spirit/beer at the end of the month in A.L./ B.L.
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

Actual balance of Indian made foreign spirit/beer at the end of the month in A.L./B.L.	Storage in A.L./ B.L	Bottled in A.L./ B.L.	Total in A.L./ B.L.	Percentage
8	9			
	.a	b	c	d

Wastage allowed in A.L.	Excess wastage on which duty is to be paid	Rate of duty per A.L./B.L.	Amount of duty to be paid	Remarks
10	11	12	13	14

FORM F.L.B.- 12
See Rule-7 (20) (v)

Register of Bonds

Name of bonder ....
Date and period of bond ....
Amount of bond ....
District/State to which Transport/Export is bond is covered................................

No of pass	Date of pass	Place of consignment	Quantity of liquor in bulk litre	Amount of consideration fees (at the rate of prescribed in the bond)	Date of arrival
1	2	3	4	5	6

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।